BA PART –II (Hons.) & (Sub.), Paper- IV

डॉ0 गौतम कुमार

अतिथि शिक्षक

राजनीति विज्ञान विभाग

आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

दल प्रणाली के रूप (Forms of Party System)

दल प्रणाली के मुख्यतः तीन रूप हैं :–

1. **एक दलीय प्रणाली (One Party System)** – जिस देश में केवल एक ही दल हो और शासन शक्ति का प्रयोग करने वाले सभी सदस्य एक ही राजनीतिक दल के सदस्य हो, तो उस दल प्रणाली को एक दलीय कहा जाता है। वर्त्तमान में क्यूबा, मैक्सिको, चीन आदि राज्यों में एक दलीय प्रणाली है।

एक दलीय प्रणाली के गुण (Merits of One Party System)

(i) एक दलीय शासन प्रणाली में सभी सदस्य एक ही दल के होने के कारण शासन व्यवस्था सुदृढ़ होती है।

(ii) एक दलीय प्रणाली में जनता के गुटबन्दी एवं विभाजन का भय नहीं रहता है, जिससे राष्ट्रीय एकता बनी रहती है।

(iii) एक दलीय प्रणाली में एक ही विचारधारा के लोग होते हैं। इस व्यवस्था में आर्थिक विकास की गति तीव्र होती है।

(iv) एक दलीय शासन व्यवस्था में अनुशासन उच्च कोटि का होता है।

(v) एक दलीय शासन व्यवस्था में दीर्घकालीन योजनाओं को आसानी से लागू किया जा सकता है।

एक दलीय प्रणाली के दोष (Demerits of One Party System)

(i) एक दलीय शासन व्यवस्था में मानव की वैयक्तिक स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है क्योंकि इस शासन व्यवस्था में विचार–विमर्श, वाद–विवाद, आलोचना इत्यादि का कोई स्थान नहीं रहता है।

(ii) एक दलीय शासन व्यवस्था में शासक का तानाशाही रवैया रहता है। इस व्यवस्था में विपक्षी दल नहीं होता है।

(iii) एक दलीय प्रणाली में सभी वर्गो के प्रतिनिधित्व का आभाव होता है। एक दलीय व्यवस्था में शासन अधिनायकतंत्र हो जाता है।

(iv) इस व्यवस्था में सामाजिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का स्वतंत्र रूप से विकास नहीं हो पाता है।

(v) एक दलीय व्यवस्था, सभी प्रगतिशील विचारों यथा– लोकतंत्र, समानता, उदारवार तथा स्वतंत्रता का विरोधी होता है।

2. **द्वि–दलीय प्रणाली (Two Party System)** – जब किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था में केवल दो ही प्रमुख राजनीतिक दल होते हैं, उसे द्वि–दलीय प्रणाली कहते हैं। अमेरिका में द्विदलीय प्रणाली है और वहॉ के दो प्रमुख दल रिपब्लिकन और ड्रेमाक्रेटिक दल है। द्वि–दलीय प्रणाली में एक दल सत्ता में तथा दूसरा दल विपक्ष में होता है।

द्वि–दलीय प्रणाली के गुण (Merits of Two Party System)

(i) **स्थायी सरकार** – द्विदलीय प्रणाली में केवल दो दल होने के कारण बहुमत दल सत्ता में होता है तथा बहुमत होने के कारण एक बार मंत्रिमण्डल का गठन हो जाने के बाद भंग होने का कोई भय नहीं रहता है। इस प्रणाली में कार्यपालिका अधिक स्थायी होती है। सरकार को नीतियों के निर्माण एवं कार्यो के संचालन में सुविधा होती है।

(ii) **शासन के कार्यो का आकलन आसानी से** – द्विदलीय व्यवस्था में एक दल सत्ता में तथा दूसरा दल विपक्ष में होने के कारण सरकार के कार्यो का मूल्यांकन आसानी से हो जाता है। कोई कार्य नहीं होने पर सत्ता पक्ष को सीधे दोषी ठहराया जा सकता है।

(iii) **दूरगामी योजनाओं का क्रियान्वयन** – इस प्रणाली में जिस दल को यह विश्वास हो जाता है कि हमारी सरकार लम्बे समय तक सत्ता में बनी रहेगी तो वह दूरगामी योजनाओं को आसानी से चला सकता है।

(iv) **मंत्रीमण्डल के गठन में आसानी** – इस प्रणाली में बहुमत दल के सभी सदस्य एक ही दल के होने के कारण सरकार आसानी से मंत्रीमण्डल का गठन कर लेती है।

(v) **शासन का स्वस्थ एवं रचनात्मक विरोध** – द्विदलीय प्रणाली में विरोधी दल सरकार की आलोचना जिम्मेदारी के साथ करता है। इसमें अनुत्तरदायी आलोचना की सम्भावना कम होती है क्योंकि आलोचना करने वाला विरोधी दल यह जानता है कि सरकार के त्याग पत्र देने पर उसे सरकार बनानी पड़ सकती है।

(vi) **सरकार का सीधा चुनाव** – इस प्रणाली में एक तरह से सरकार का सीधा चुनाव होता है क्योंकि एक दल सत्ता पक्ष में तथा दूसरा दल विपक्ष में होता है। मतदान के समय अगर जनता शासक से खुश है तो पक्ष में अथवा विपक्ष में मतदान करेगा।

द्वि–दलीय प्रणाली के दोष (Demerits of Two Party System)

(i) बहुमत दल की तानाशाही – द्विदलीय प्रणाली में बहुमत दल सरकार बनाती है। उसे इस बात का गर्व होता है कि हमें कोई विपक्षी दल हटा नहीं सकता है। इसलिए वह तानाशाही रवैया अपनाती है।

(ii) विधायिका की शक्ति का ह्रास – द्विदलीय प्रणाली वाले देशों में कार्यपालिका की शक्ति अनवरत बढ़ती रहती है और विधायिका की शक्ति का ह्रास होता है। ब्रिटिश शासन प्रणाली के बारे में रैम्जे मयोर ने लिखा है कि, "मंत्रिमण्डल की तानाशाही ने संसद की शक्ति तथा सम्मान को बहुत कुछ कम कर दिया है।"

(iii) **मतदाताओं को चयन में असुविधा** – द्विदलीय व्यवस्था में जनता को प्रतिनिधि का चयन करने में काफी कठिनाई होती है क्योंकि उनके पास मात्र दो ही विकल्प होते हैं। चाहे वह सत्तारूढ़ दल का चयन करे अथवा विपक्षी दल का। इसी कारण कभी–कभी मतदाता राजनीति से उदासीन हो जाते हैं।

(iv) **राष्ट्र दो विरोधी गुटों में बॅट जाता है** – द्विदलीय व्यवस्था वाले देश विचारधारा के आधार पर दो गुटों मे विभाजित हो जाते हैं। राष्ट्र का ऐसा विभाजन एक भंयकर राजनीतिक प्रवृति मानी जानी चाहिए।

(v) **विधायिका में प्रतिनिधित्व की कमी** – द्विदलीय व्यवस्था में विभिन्न हितों एवं अन्य वर्गो को विधायिका में प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर मिल पाता है। जहॉ बहुत दल होते हैं वहॉ सभी को आसानी से प्रतिनिधित्व मिल पाता है।

3. **बहु दलीय प्रणाली (Multi Party System)** – यदि किसी देश में दो से अधिक अथवा अनेकों दल राजनीति में सक्रिय होते हैं, तो उस प्रणाली को बहु दलीय प्रणाली कहा जाता है। भारत में बहुदलीय पद्वति क्रियाशील है।

बहु दलीय प्रणाली के गुण (Merits of Multi Party System)

(i) **राष्ट्र दो गुटों में विभाजित नहीं होता** – इस प्रणाली में कोई भी सदस्य किसी पार्टी को छोड़कर अन्य पार्टी(जो उसके विचारधारा के अनुकूल हो) में शामिल हो सकता है, अर्थात् विचारों की स्वतंत्रता। विचारों की स्वतंत्रता होने के कारण राष्ट्र दो गुटों में विभाजित नहीं होता। इस प्रणाली में दलीय अनुशासन कठोर नहीं होता है।

(ii) **शासन निरंकुश नहीं बन सकता** – बहुदलीय व्यवस्था में संयुक्त मन्त्रिमण्डल का निर्माण होने के कारण किसी एक राजनीतिक दल को एकाधिकार स्थापित करने का अवसर नहीं मिलता है। शासन कार्य हमेशा आदान–प्रदान एवं समझौते की भावना से चलता है।

(iii) **मतदाताओं को प्रतिनिधि चयन के कई विकल्प** – बहुदलीय प्रणाली में बहुत दल चुनाव मैदान में होते हैं जिसके कारण चुनाव के समय मतदाताओं को

प्रतिनिधि के चयन की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। इस प्रणाली में मतदाता स्वतंत्र एवं निर्भीक होकर खुले विचार से अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सकता है।

(iv) **कैबिनेट की तानाशाही कम से कम** – बहुदलीय प्रणाली में अधिकांशतः गठबंधन की सरकारें बनती है। गठबंधन की सरकार होने के कारण विभिन्न दलों में आपसी तालमेल एवं समझौता सरकार के गठन से पूर्व होता है। इसी समझौता नीति पर काम करने के कारण कैबिनेट की तानाशाही कम से कम चल पाता है।

(v) **श्रमिक वर्ग अधिक स्वतंत्र** – बहुदलीय प्रणाली में अगर श्रमिकों की पार्टी उनके हित की बात नहीं करते हैं तो वह समान विचारधारा वाली अन्य पार्टी में शामिल हो सकता है।

(vi) **सभी के हितों एवं विचारों का प्रतिनिधित्व** – बहुदलीय पद्वति वाले देशों में विधायिका और कार्यपालिका में किसी एक या दो दलों की प्रधानता नहीं होती है, सभी दल समकक्ष होते हैं। विधायिका एवं कार्यपालिका में कई दलों का प्रतिनिधित्व होने के कारण सभी के हितों एवं विचारधाराओं का पूर्ण प्रतिनिधित्व मिल जाता है।

बहु दलीय प्रणाली के दोष (Demerits of Multi Party System)

(i) अस्थायी सरकार – बहुदलीय प्रणाली में मुख्यतः गठबंधन की सरकार होती है। गठबंधन की सरकार मूल रूप से कमजोर होती है। आपसी तालमेल एवं समझौता में मतान्तर होने पर बहुमत वापस ले लिया जाता है जिसके कारण सरकार भंग हो जाती है।

(ii) कोई दीर्घकालिक योजना नहीं – बहुदलीय प्रणाली में गठबंधन की सरकार होने के कारण कोई भी दीर्घकालिक योजना संचालित नहीं होती है।

(iii) **सरकार की स्थिति कमजोर होती है** – बहुदलीय प्रणाली में अनेक दलों में आपसी गठबंधन होने के कारण अथवा एक पार्टी की सरकार नहीं होने के कारण सरकार की स्थिति हमेशा नाजुक बनी होती है। इस व्यवस्था में कोई भी दल किसी भी समय सरकार को समर्थन देना बन्द कर दे तो सरकार का पतन हो जाता है।

गठबंधन की सरकार होने पर, सरकार सभी दलों को खुश करने में लगी रहती है, जिसके कारण प्रधानमंत्री की स्थिति कमजोर हो जाती है।

(iv) **कार्यकुशलता का आभाव** – बहु दलीय व्यवस्था में सरकार का अधिकांश समय राजनीतिक दॉव–पेच अथवा तोड़ जोड़ की राजनीति में बीत जाता है जिसके कारण सरकार अपनी शक्ति एवं श्रम का सही उपयोग नहीं कर पाती है। सभी सत्ता दल के सदस्य अपने–अपने लाभ कार्य में लगे रहते हैं। जिसके कारण प्रशासनिक कार्यो में शिथिलता आती है।

(v) **उत्तरदायित्व का आभाव** – इस व्यवस्था में प्रत्येक दल सफलता का श्रेय स्वंय लेना चाहता है और असफलता का श्रेय दूसरे दल के माथे पर थोपना चाहता है। इसी कारण गठबंधन की सरकार में उत्तरदायित्व को निश्चित करना काफी कठिन होता है।

(vi) **राष्ट्रीय हित का आभाव** – बहुदलीय प्रणाली में मतदाता प्रायः व्यक्ति विशेष अथवा समूह विशेष को अपना मत देता है। जिसके कारण व्यक्ति अथवा समूह विशेष अपने ही स्वार्थ में लगे रहते हैं। वे अपने स्वार्थो के आगे राष्ट्रीय हित की भी बलि चढ़ा देते हैं।